(72)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2017/2285 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–6–2017 पारित द्वारा तहसीलदार जूनी इंदौर प्रकरण कमांक 2/अ–13/2015–16.

1– चन्द्रकला पति रामजीलाल
2– जगदीश पिता रामजीलाल
3– ओमप्रकाश पिता रामजीलाल
निवासीगण ग्राम माचला
तहसील व जिला इंदौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

गुलाबसिंह पिता खुमानसिंह
निवासी ग्राम माचला
तहसील व जिला इंदौर .....अनावेदक

श्री श्रृद्धानन्द मिश्रा, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री रितेश तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 8/7/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार जूनी इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार जूनी इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम माचला तहसील व जिला इंदौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 244/57 रकबा 0.500 हेक्टेयर है । उक्त भूमि पर आने–जाने हेतु पीढ़ी–दर–पीढ़ी रास्ता चला आ रहा था, जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, रास्ता खुलवाया जाये । साथ ही संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत रास्ता बन्द न करने का स्थगन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–13/2015–16 दर्ज कर दिनांक 6–6–2017 को स्थगन आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालयय द्वारा बिना स्थल निरीक्षण किये अन्तरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं है । यह भी कहा गया कि अनावेदक के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद आवेदकगण की भूमि में से नया रास्ता देने में तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि मौके पर रास्ता है ही नहीं, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रश्नाधीन रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अभी अन्तरिम आदेश पारित किया गया है और प्रकरण का अन्तिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को बिना सूचना व बिना स्थल निरीक्षण किये दिनांक 6–6–2017 को अंतरिम रास्ते का आदेश पारित किया गया है, जो कि अनुचित होकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत भी है । तहसीलदार का यह विधिक दायित्व था कि वे आवेदक को विधिवत सूचना देकर स्थल निरीक्षण उपरांत अंतरिम रास्ते के संबंध में आदेश पारित करते, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में अवैधानिकता की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार जूनी इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–2017 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर